| | | |
|---|---|---|
| | श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है। | विशेष |
| 24/11/22 | पत्रावली पेश हुई। बहस को समय चाहते हो पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/12/22 को पेश हो। | |
| 16/12/22 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व दिशानुसार दिनांक 28/12/22 को पेश हो। | |
| 28/12/22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उप०। अधिवक्ता प्रतिवादीगण उप०। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/1/23 को पेश हो। पुनश्च: प्रतिवादी सं. 11 की ओर से Adv. श्री ईलियास मोहम्मद ने वकालतनामा ~~पेश~~ एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ~~कि~~ जो शामिल पत्रावली रहे। | |
| 10/1/2023 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी प्रतिवादी उप.। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश दिनांक 20/1/2023 को पेश हो। 10/1/2023 | |
| 20/1/2023 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पृथक से टंकित कराया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। 20/1/2023 | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद संख्या– 215/2012 पुनः दर्ज 203/2016 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 110/2022

1. गुलाब पत्नी मोहन
2. कजोड़
3. शंकरलाल पुत्रान मोहन
4. रत्नी पुत्री मोहन पत्नी बाबूलाल
5. राजू पुत्री मोहन पत्नी कालूराम
6. लाली पुत्री मोहन पत्नी शंकरलाल
7. ललिता पुत्री मोहन पत्नी विरदीचन्द

समस्त जाति कुम्हार हाल निवासी गोडावाली कोठी जोबनेर

वादीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र लखमा
2. भंवरलाल
3. केसरमल
4. लक्ष्मीनारायण पुत्रांन गंगाराम
5. रामकरण
6. सीताराम पुत्रान छाजूराम
7. धापूदेवी बेवा छाजूराम
8. लादू
9. सूरजमल पुत्रान लखमा

समस्त जाति कुम्हार निवासी गोडावाली ढाणी जोबनेर

10. रामलाल पुत्र मोटाराम जाति कुमावत निवासी बबेरवालो की ढाणी जोबनेर
11. बजरंगलाल पुत्र गोपाल लाल जाति कुमावत निवासी हनुमान घोडिला की ढाणी जोबनेर
12. तहसीलदार तहसील फुलेरा हाल जोबनेर

<u>वाद पत्र बाबत् घोषणा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः– 1. श्री शमीम उल हक, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण।
2. श्री अजय सिंह विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 09
3. श्री राजेन्द्र कुमार चौपडा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10
4. श्री इलियास मोहम्मद विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11
5. सरकार पैरोकार

**निर्णय** दिनांकः–20.01.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अंतर्गत दिनांक 11.10.2012 को प्रस्तुत किया गया था। जिसे दिनांक 25.02.2016 को न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक से क्षेत्र का बंटवारा होने पर पत्रावली

......2

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को हस्तांतरित हुई। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 10 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक अराजी खसरा नं. 851 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा जिसमें से 5 बीघा 4 बिस्वा चाही 1, 2 बीघा 9 बिस्वा बारानी 2 वाकै ग्राम बबेरवालो की ढाणी में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मोहन का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 2/5 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना 1/5 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का प्रत्येक का 1/40 – 1/40 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 1/5 हिस्से का इन्द्राज होने के कारण दिनांक 26.09.2012 को उक्त 1/5 हिस्से में से 6.12 बिस्वा भूमि का विक्रय बिना इल्म व आगाह वादीगण जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दी जबकि उसके हिस्से में केवल 3.83 बिस्वा भूमि ही आती है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि पर विक्रय कर दिया। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उनका हिस्सा पृथक–पृथक करने व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने को दिनांक 5.10. 2012 को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि शेष भूमि शीघ्र विक्रय करके रहूंगा खरीददार तुमको बेदखल करके कब्जा कर लेगा। वादीगण का वाद विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जावे कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित खसरा न. 851 के 1/40–1/40 हिस्से के काश्तकार है तथा विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2012 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 विवादित भूमि के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी का विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 10 व 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा नं. 851 में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप न करें। प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 विक्रय पत्र दिनांक 26.09. 2012 के आधार पर बिना विभाजन नामांतरण नहीं खुलवाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किये गये।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न अनुसार है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के मद संख्या 1 लगायत 5 को स्वीकार किया गया। वाद पत्र के मद नंबर 9 में चाही गई प्रार्थना स्वीकार है। अतिरिक्त कथन में कथन किया कि प्रतिवादी नं. 1 ने विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण नं. 10 व 11 को गलत विक्रय की है तथा प्रतिवादीगण नं. 10 व 11 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है न रहा। विवादित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 9 काबिज काश्त है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है गलत रूप से विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

......3

किया जो विक्रय पत्र नुमाईशी व फर्जी है। इसलिये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 9 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा को ही अपना जवाब दावा समझने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा वादीगण के वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। वादी संख्या 4 लगायत 7 प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहीत पुत्रियां है, जिनका मोहन के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है, बल्कि रिकार्डेड खातेदारान की जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्से का इन्द्राज विधि सम्मत रूप से सही दर्ज हुआ, उसमे से प्रतिवादी संख्या 10 को 4.59 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 11 को 1.53 बिस्वा भूमि का विक्रय कर विक्रय पत्र पंजीकृत करा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त थे एवं उनकी भूमि अविभाजित है। लेकिन मौखिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 मोहन सडक के नजदीक का हिस्सा काश्त करता है एवं उसी हिस्से में से 6.12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को विक्रय की है एवं विक्रय की हुई भूमि पर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए उक्त भूमि विक्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था, ऐसी सूरत में नामान्तरण को नहीं रोका जा सकता। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। बकौल वादीगण यह विक्रय पत्र वोइडएबल कॉन्ट्रेक्ट की श्रेणी में आता है, जिसे श्रवण करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाई ला ऑफ एस्टोपल इस विक्रय से कानूनन प्रतिबद्ध है एवं इस विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दे सकते। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर झूठा दावा पेश किया है। अतः वाद वादीगण खारीज फरमावें।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के जवाब दावे का जवाब उल जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि वादीगण संख्या 4 लगायत 7 प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रियां तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध कानूनी वारिस है। विवादित भूमि पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। बल्कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 का कब्जा है। मौके पर भूमि की कोई सीमाबंदी अथवा तारबंदी नहीं हो रखी है। दिनांक 26.09.2012 को करवाया गया विक्रय पत्र फर्जी एवं नुमायशी है, जो प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से से अधिक पैतृक भूमि विक्रय किया है, जो विधि विरूद्ध है। वादीगण ने वादपत्र में अपने हिस्से की घोषणा चाही है और काश्त की भूमि के संबंध में घोषणा का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है तथा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का करवाये गये विक्रय पत्र को नल एंड वॉइड घोषित करने का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय को है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जावें।

वादी एवं प्रतिवादी का जवाब पेश हुआ तथा उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयीः—

20/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.........4

1. आया यह है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 आराजी खसरा नं0 851 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी 1/40–1/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, की घोषणा बाबत डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण

2. आया यह है कि आराजी खसरा नं0 851 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कराने का अधिकारी है।

वादीगण

3. आया यह है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1, 10 व 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

वादीगण

4. आया यह है कि विवादित भूमि में मोहन प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा था और वह रिकार्डेड काश्तकार काबिज था। उसने अपने हिस्से की भूमि में से कमश 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 व 1/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 को अर्थात 6.12 बिस्वा भूमि सडक के नजदीक की विक्रय कर कब्जा करा दिया। इस आधार पर वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण सख्या 10 व 11

5. आया यह है कि उक्त वाद माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11

6 अनुतोष

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 गुलाब देवी, पीडब्ल्यू–2 नंदलाल, पीडब्ल्यू–3 शंकरलाल को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिनमें जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2019 प्रदर्श–2, विरासत नामांतरण संख्या 171 नकल प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2026 से 2029 प्रदर्श–4, विक्रय पत्र मोहन बहक रामलाल व बजरंग लाल प्रदर्श–5 प्रस्तुत किए गये।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

1. विवाद्यक संख्या–1ः–

वादीगण की ओर से दौराने बहस अभिवचन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की वादीगण विवादीत आराजी खसरा नं0 851 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण 1/40, 1/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा साक्ष्य में वादीसंख्या 1 गुलाब देवी पीडब्लयू–1 को परीक्षित कराया। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता लखमा से उनकी पैतृक अराजीयात खसरा नं0 851 प्राप्त हुई

.........5

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उसमें मोहन का हिस्सा 1/5 था उक्त 1/5 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने मेरे पति प्रतिवादी संख्या 1 को धोखा देते हुए हमारे हिस्से की भूमि का भी विक्रय पत्र करवा लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि पर हम आज भी काबिज है। वादीया ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 प्रस्तुत की प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2019 प्रदर्श–3 विरासत नामान्तरण संख्या 171 प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2026 से 2029, प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रति विक्रयपत्र दिनांक 26.09.2012 मोहन बहक रामलाल व बजरंगलाल पेश की। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में भी वादीया ने अपने वादपत्र एवं मुख्य परीक्षा के कथनों को ताइद करते हुए कहा कि उक्त भूमि में मेरे पति का 1/5 हिस्सा है, उसमें से हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा है, जो बेचान किया गया वो गलत किया गया। वादी साक्ष्य में पीडब्लयू–2 नंदलाल स्वतंत्र गवाह के रूप में परीक्षित हुआ। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मैं विवादित आराजीयात को भली–भांति जानता हूँ उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मोहन वगै0 की पैतृक कृषि भूमि है। मोहन अशिक्षित, अनपढ़ एवं ग्राम का सीधा–सादा व्यक्ति है जिसे रामलाल व बजरंगलाल ने उसके हिस्से अधिक भूमि का विक्रय पत्र करवा लिया गवाह ने जिरह में अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों को ताईद करते हुए कहा कि विवादित भूमि में मोहन प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा निहित है। मोहन ने अपना 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण बेच दिया उक्त भूमि पर कब्जा आज भी वादीगण का ही है। विक्रय पत्र प्रदर्श 5 मैने देखा था उसमें काटा–छांटी की हुई है। पीडब्लयू 3 शंकरलाल जो स्वयं वादीसंख्या 3 है ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि मेरे पिता मोहन लाल को भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई है, जिसमें मेरे पिता के हिस्से मे हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार के तहत निहित है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने मेरे पिता को बहला–फुसला कर जमाबंदी में दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय पत्र तस्दीक करवा लिया। विक्रय पत्र के पेज नं0 4 की पंक्ति नं0 14 व 15 में कटिंग की हुई है। उस कटिंग पर मेरे पिता की अगूंठा निशानी भी नहीं है। गवाह ने जिरह में अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों को ताईद करते हुए कहा की विवादित भूमि में मेरे पिता मोहन प्रतिवादी संख्या 1 तथा हम वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा निहित है। मेरे पिता मोहन ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का गलत रूप से बेचान कर दिया उक्त भूमि पर कब्जा आज भी हम वादीगण का ही है। विक्रय पत्र प्रदर्श 5 मैने देखा था उसमें काटा–छांटी की हुई है। अपने तर्कों के समर्थन में वादीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

1. 1996 आर0आर0डी0 161 उनवान मूल्या बनाम किशना व अन्य
2. 2018(1) आर.आर.टी. 584 उनवान छोटूराम बनाम उर्श खान व अन्य

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत तर्कों का समग्रता से अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में वादीया द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2019, प्रदर्श–3 विरासत नामान्तरण प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत् 2026 से 2029



उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रदर्शित करायी गयी जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। मोहन पुत्र लखमा को खसरा 851 की भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण नामान्तरण संख्या 171 दिनांक 14.09.1969 प्रदर्श–3 से प्राप्त हुई है। वादीसंख्या 1 गुलाब पत्नि मोहन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पति की मृत्यु के पश्चात ही उसकी संपति में वारीस हो सकती है उससे पूर्व वादीसंख्या 1 का उसके पति की पैतृक संपति में कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकती। पीडब्लयू 2 नंदलाल जो कि स्वतंत्र गवाह है ने भी वादीया के वाद पत्र के अभिवचनों की ताईद की। पीडब्लयू 3 शंकरलाल जो कि स्वयं वादीसंख्या 3 है ने भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में लिखे गये अभिवचनों की ताईद की है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वादीगण यह साबित करने में सफल रहे है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2012 विधि अनुसार निष्पादित एवं पंजीबद्ध नहीं करवाया गया। उपरोक्त भूमि में वादीसंख्या 2 लगायत 7 तथा प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/35 हिस्सा स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2012 को वादीगण संख्या 2 लगायत 7 के हक हिस्से तक शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान कर दिए जाने से उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है एवं इसी अनुसार बहक वादीगण आंशिक विनिश्चित किया जाता है।

2. **विवाद्यक संख्या 2:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 के विस्तृत विवेचन में वादीगण इस हद तक साबित करने में सफल रहे है कि उक्त विवादग्रस्त अराजीयात मोहन प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण संख्या 2 लगायत 7 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के मद संख्या 3 में भी उन्होनें स्वीकार किया है कि जमीन के रिकॉर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त थे एवं उनकी जमीन अविभाजित है, लेकिन परस्पर सहमति से मोहन सड़क के नजदीक का हिस्सा काश्त करता था एवं उसी हिस्से का बेचान किया गया था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब दावे का मद नं0 3 में स्पष्ट कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि वाद बहक वादीगण डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वादीगण विवादित आराजीयात खसरा नं0 851 में अपने हिस्से अनुसार अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कराने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 2 बाबत विभाजन बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विनिश्चित किया जाता है।

3. **विवाद्यक संख्या 3:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस विवाद्यक में वादीगण को यह साबित करना है कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1, 10 व

.........7

(Seal: उपखण्ड अधिकारी एवं ... जोबनेर जिला जयपुर; सत्यमेव जयते)

20.1.2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

11 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जहॉ तक वादग्रस्त भूमि बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादीगण द्वारा अभिवचनों व मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होना बताया है तथा जिरह में भी यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य स्वतंत्र गवाह पीडब्लयू 2 नंदलाल द्वारा भी विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा वाद पत्र के अनुसार वाद डिक्री करने की अनापत्ति देने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1, 10 व 11 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1,10 व 11 विनिश्चित किया जाता है।

4. **विवाद्यक संख्या 4:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 10 व 11 पर है। इस विवाद्यक में प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि विवादित भूमि में मोहन प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा था और वह रिकार्डेड काश्तकार काबिज था। उसने अपने हिस्से की भूमि में से क्रमशः 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 व 1/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 को अर्थात 6.12 बिस्वा भूमि सडक के नजदीक की विक्रय कर कब्जा करा दिया। इस आधार वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी, ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 5 का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को अपने दर्ज हिस्से में से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार तय हिस्से से अधिक हिस्से/भूमि का बेचान कर दिया गया तथा कब्जा क्रेतागण को करा दिया। प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत दिनांक 28.12.2022 को लिखित में यह कथन किया की यदि मुकदमा वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 11 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 एवं 11 द्वारा इस संबंध मे ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी ना ही अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जबकि पीडब्लयू 1, पीडब्लयू 2 एवं पीडब्लयू 3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में यह कथन किया है कि उपरोक्त आराजीयात पर आज भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है। विवाद्यक संख्या 1 में यह विनिश्चित किया जा चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 1 विरूद्ध प्रतिवादी विनिश्चित होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की सीमा से अधिक हिस्से के किए गये विक्रय की हद तक विवाद्यक संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 10 व 11 विनिश्चित किया जाता है।

5. **विवाद्यक संख्या 5:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 10 व 11 पर है। इस विवाद्यक में प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि उक्तवाद माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के मद नं0 12 में यह अभिवचन किया है कि यह

.........8

20/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वाद कानूनन श्रवण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय को खातेदारी भूमि में अपने हक हिस्से से अधिक किए गये पंजीकृत विक्रय के विरूद्ध प्रस्तुत वाद को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 एवं अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णितानुसार प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 5 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 10 व 11 विनिश्चित किया जाता है।

**अनुतोषः–**

चुकि वादीगण विवाद्यक संख्या 1,2 व 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है तथा विवाद्यक संख्या 4 व 5 प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः उपरोक्त विवाद्यकों के निर्णयानुसार वादीगण का वाद सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार होने योग्य है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

**क्रियात्मक आदेश**

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 851 किता रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा वाकें ग्राम बबेरवालों की ढाणी में वादीगण सं0 2 लगायत 7 व प्रतिवादी सं0 1 को लखमा के हिस्सें में से प्राप्त 1/5 हिस्से में प्रत्येक का 1/35 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त सीमा तक निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2012 जो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का करवाया गया है को वादीगण के हक हिस्से तक शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के 1/35 में से प्रतिवादी संख्या 10 का नवीन हिस्सा 3/140 तथा प्रतिवादी संख्या 11 का नवीन हिस्सा 1/140 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। वादीगण विवादित आराजीयात खसरा नं0 851 में अपने हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय पत्र पंजीकृत कराने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा वाद पत्र के अनुसार वाद डिक्री करने की अनापत्ति देने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1, 10 व 11 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1, 10 व 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जाता हैं कि विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की रूकावट, बाधा उत्पन्न न करें, न बेदखल करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी एवं उपखण्ड ... जोबनेर जिला जयपुर

20/1/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
## (आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
## (Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर** मुकाम जोबनेर जिला जयपुर व इजलारा श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,

**गुलाब वगै0 बनाम मोहन वगै0**

दावा बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 215 / 2012 पुनः दर्ज 203 / 2016 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 110 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री** शमीम उल हक, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री अजय सिंह विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 09, श्री राजेन्द्र कुमार चौपडा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10, श्री इलियास मोहम्मद विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11, सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादीगण गुलाब वगै0 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता हैः–

वादीगण का यह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अर्थात् सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।
यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 10 माह 01 सन् 2023 को जारी किया गया।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर, सत्यमेव जयते)

वाद के खर्चे

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्जी दावा....... | 03 / – | | स्टाम्प वकालतनामा.... | 02 / – | |
| स्टाम्प वकालतनामा.... | 01 / – | | स्टाम्प वजह सबूत...... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत...... | | | महनताना वकील....... | | |
| महनताना वकील....... | | | खर्चा गवाहान...... | | |
| खर्चा गवाहान...... | | | फीस कमिश्नर...... | | |
| फीस कमिश्नर...... | | | बाबत् इजराय | | |
| बाबत् इजराय | | | हुक्मनामा...... | | |
| हुक्मनामा...... | | | मुतफर्रिक...... | | |
| मुतफर्रिक....... | 04 / – | | मीजान....... | | |
| मीजान....... | | | | | |
| कुल | 08 / – | | | 02 / – | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

1. गुलाब पत्नी मोहन
2. कजोड़
3. शंकरलाल पुत्रान मोहन
4. रत्नी पुत्री मोहन पत्नी बाबूलाल
5. राजू पुत्री मोहन पत्नी कालूराम

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

...2

6. लाली पुत्री मोहन पत्नी शंकरलाल
7. ललिता पुत्री मोहन पत्नी बिरदीचन्द
समस्त जाति कुम्हार हाल निवासी गोडावाली कोठी जोबनेर

वादीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र लखमा
2. भंवरलाल
3. केसरमल
4. लक्ष्मीनारायण पुत्रांन गंगाराम
5. रामकरण
6. सीताराम पुत्रान छाजूराम
7. धापूदेवी बेवा छाजूराम
8. लादू
9. सूरजमल पुत्रान लखमा

   समस्त जाति कुम्हार निवासी गोडावाली ढाणी जोबनेर

10. रामलाल पुत्र मोटाराम जाति कुमावत निवासी बबेरवालो की ढाणी जोबनेर
11. बजरंगलाल पुत्र गोपाल लाल जाति कुमावत निवासी हनुमान घोडिला की ढाणी जोबनेर
12. तहसीलदार तहसील फुलेरा हाल जोबनेर

प्रतिवादीगण

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर
सत्यमेव जयते

20/1/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर